पत्रांक–स0नि0–आवासीय / कार्यालय अनुरक्षण / 2020–21 / 597 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0
(सम्पत्ति अनुभाग)
लखनऊ::दिनांक:: फरवरी, 01 2021

1. **समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,**
   वाणिज्य कर, उ0प्र0।
2. **अपर निदेशक(प्रशिक्षण),**
   वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान,
   लखनऊ।

विषय :विभागीय आवासीय / कार्यालय भवनों में अनुरक्षण कार्य / निर्माण / लघु निर्माण कार्य कराये जाने हेतु आगणन प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में वाणिज्य कर विभाग के विभागीय कार्यालय भवन व आवासीय भवनों में लघु निर्माण कार्य / अनुरक्षण कार्य / निर्माण कार्य / नई लिफ्ट लगाये जाने हेतु बजट में धनराशि का प्राविधान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव जोनल कार्यालयों से प्राप्त कर यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश शासन द्वारा दिये गये हैं। **शासन द्वारा प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्राप्त प्रस्तावों के स्वीकृति के संबंध में प्रत्येक सप्ताह समीक्षा बैठक आहूत की जा रही है।**

उल्लेखनीय है कि प्रत्येक निर्माण कार्य की योजनाओं में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार तीन (03) राजकीय कार्यदायी संस्थाओं से प्रस्ताव व अनुरक्षण / लघु निर्माण कार्य के प्रस्ताव एक (01) राजकीय कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर, जिसमें प्रत्येक प्रस्ताव में कार्य पूर्ण करने की टाइम लाइन का उल्लेख किया जाए और सक्षम स्तर से प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाणक / उपयोगिता प्रमाण–पत्र टाइमलाइन के अनुसार कार्य पूर्ण होने पर तत्काल मुख्यालय के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश शासन द्वारा दिये गये है जिसके संबंध में मुख्यालय के पत्र दिनांक 09.09.2020 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये थे किन्तु औचित्यपूर्ण एवं परिपक्व प्रस्ताव मुख्यालय को उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं।

लघु निर्माण कार्य हेतु मेरठ, प्रशिक्षण संस्थान के अतिरिक्त किसी भी जोन / जनपद से आगणन प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराये गये हैं जबकि बजट व्यवस्था कराये जाने हेतु लघु निर्माण कार्य हेतु बजट प्राविधान कराये जाने के प्रस्ताव प्रेषित किये गये थे। यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि वाणिज्य कर विभाग के विभागीय कार्यालय / आवासीय भवनों में मरम्मत / लघु निर्माण कार्य / नये निर्माण कार्य, जो अपरिहार्य कार्य के हो, की प्राथमिकता निर्धारित करते हुए उपरोक्त निर्देशानुसार सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं से आगणन प्रस्ताव तीन (03) प्रतियों में प्रतिहस्ताक्षरित कर, उपलब्ध कराये जाने हेतु ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर को निर्देशित कर दें कि अपने सम्भाग / जनपद से सम्बन्धित प्रस्ताव दिनांक 08.02.2021 तक प्रत्येक दशा में मुख्यालय को उपरोक्तानुसार उपलब्ध कराना

सुनिश्चित करें तथा स्वयं भी प्रभावी अनुश्रवण करते हुए समयान्तर्गत प्रस्ताव अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(सूर्यमणि लालचंद)
एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0प0सं0 व दिनांक:उक्त।
प्रतिलिपि:—1. डिप्टी कमिश्नर (प्रभारी नजारत), वाणिज्य कर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मुख्यालय नाजिर/आवासीय भवन नाजिर को उपरोक्तानुसार समयबद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित।
2. ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0), वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय साइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन), वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।